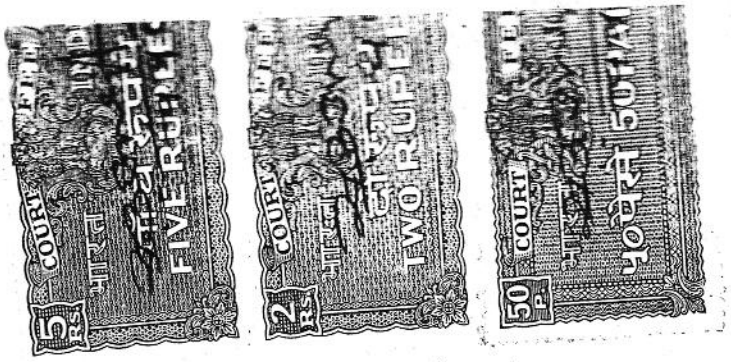

C.F.Rs. 7.50

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक ।६४ निगरानी

RN/41/R/804/94

क्रमांक .... श्री एस०के० अवस्थी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 8.8.94 को प्रस्तुत
8.8.94
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

१। कालीचरन पुत्र गंगाप्रसाद
२। नवाबसिंह पुत्र ऋजुद्दी सिंह
३। मानसिंह पुत्र ऋजुद्दी सिंह
४। विजयसिंह पुत्र ऋजुद्दी सिंह
५। श्यामसिंह पुत्र ऋजुद्दी सिंह
६। मुस०मथुरादेवी बेवा ऋजुद्दी सिंह
७। साधुनसिंह पुत्र रामनाथ
८। धुरन्धरसिंह पुत्र xxxxxx हजूरी सिंह
९। बहादुर पुत्र हजूरी
१०। सुरजादेवी पुत्री मदनसिंह
११। मुस० भागवती बेवा मदनसिंह
१२। दीवानसिंह पुत्र मदनसिंह
सभी निवासीगण ग्राम सिमराव, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र०
१३। दशरथसिंह पुत्र चूरामन
१४। विक्रमसिंह पुत्र चूरामन
१५। क्षारसिंह पुत्र चूरामन
सभी यादव निवासीगण ग्राम डिड़ी तहसील व जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश --- प्रार्थी

विरुद्ध

१। रामेश्वर पुत्र घासीराम
२। गोधन पुत्र घासीराम
३। मुस० नीकीबिटिया पुत्री घासीराम
मृत वारिसान

एस०के० अवस्थी
८-८-९४

---- २

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी/804/94 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
14.12.15	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 101/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-1994 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी एंव श्री आर0डी0शर्मा के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय भिण्ड में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सिमराव स्थित भूमि कमांक 456/1, 457, 458, 459, 460, 478 रकबा 24 वीघा 17 विसवा पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने की मांग की, जिस पर सुनवाई उपरांत तहसीलदार भिण्ड ने आदेश दिनांक 27-1-1965 से क्रय की गई भूमि पर केताओं का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर तहसीलदार का नामांत्रण आदेश दिनांक 27-1-65 निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। 4/ तहसील न्यायालय में प्रकरण में पुर्नसुनवाई हुई	

तथा आदेश दिनांक 29-7-74 से आवेदकगण का आवेदन इसलिये अमान्य कर दिया, क्योंकि राजस्व मण्डल में चले प्रकरण में आवेदक/अनावेदक के बीच हुये समझौते अनुसार घासीराम एंव शीतल पुत्रगण भिखारी को भूमिस्वामी माना गया है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 29-7-74 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 10-2-1992 से निर्णय लिया गया कि महिला फूलश्री पुत्री अजुद्धी की 6-7 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है एंव उसके वारिसान को निर्धारित समय पर रिकार्ड पर नहीं लिया गया है इसलिये प्रकरण अवेट है। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 101/1992-93 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 5-5-1994 से अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10-2-1992 को स्थिर रखा गया है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

5/ प्रकरण में विचार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग ने अपील अवेट मानने में किसी प्रकार की त्रृटि की है अथवा नहीं ? अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 101/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 5-5-94 के पैरा -6 का अंश उद्धरण इस प्रकार है :-

" इस प्रकार उभय पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि मुस0फूलश्री की मृत्यु 6-7 वर्ष पूर्व हुई है। अभिलेख

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी/804/94 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	से यह भी पुष्टि होती है कि प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहा है और इसके विचाराधीन रहते प्रकरण में कई मरम्मत सवाल प्रस्तुत हुये हैं उनके प्रतिवाद भी प्रस्तुत हुये हैं और ऐसे आवेदन पत्रों के निराकरण भी हुये हैं। अतः अपीलार्थीगण के अनपढ़ और सीधे–साधे व्यक्ति होने के कारण मरम्मत सवाल निर्धारित अवधि में पेश न करने की दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण वर्ष 1964 से ही मुकदमेवाजी कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें मरम्मत सवाल प्रस्तुत करने अथवा उनका प्रतिवाद करने के अवसर मिले हैं। अतः प्रश्नाधीन मरम्मत सवाल पेश न करना गफलत और उपेक्षा प्रकट करता है। '' अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 5–5–94 में उक्तानुसार प्रकट किया गया अभिमत अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा आदेश दिनांक 10–2–1992 में दिया गया निष्कर्ष समरूप होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नजर नहीं आती है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 101/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–5–94 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। (एम0के0सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर	